बिहार विधान परिषद् सचिवालय
प्राक्कलन आमंत्रण

बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी 2015 की 2000 (दो हजार) प्रतियॉ मुद्रण हेतु विभिन्न इच्छुक संस्थानों से कागज,वाइडिंग,कभर निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित निविदा दिनांक-06-11-2014 को 3:00 बजे अप0 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

चयनित निविदादाता संस्थान को आदेश निर्गत के पूर्व जमानत राशि 30,000/-रू0(तीस हजार) रू0 मात्र जमा करना होगा। मुद्रण में किसी प्रकार की त्रूटि पाये जाने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। सभी प्राप्त निविदा दि0 06-11-2014 को 5:00 बजे अप0 कार्यकारी सचिव महोदय के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी,जिसमें सभी निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

दैनन्दिनी का आकार,कभर, कागज,पृष्ठों की संख्या एवं मुद्रण से संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान परिषद् के प्रकाशन शाखा से प्राप्त की जा सकती है

बिहार विधान परिषद् सचिवालय
दैनन्दिनी 2015 के मुद्रण के संबंध में

1. निविदा के कभर पर संस्थान का नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित रहना चाहिए।
2. बिहार राज्य वैट/वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण के साथ अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण निविदा में संलग्न रहना चाहिए।
3. दैनन्दिनी मुद्रण से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण/नमूना रहना आवश्यक है।
4. दैनन्दिनी की संख्या-2000(दो हजार), पृष्ठों की संख्या 530 आकार 24x18 से0 मी0 होगी।
5. मुद्रण मैपलिथो पेपर (सलदार) 75 जी0एस0एम0 पर होगा, कभर पेपर पर(रेक्सीन पर बिहार विधान परिषद् का फोटो एवं वौद्ध वृक्ष) अंदर में 5 कलर फोटो ग्राफ्स, 2015-16 की दिनपत्री,रहना आवश्यक है।
6. जमानत की राशि दैनन्दिनी 2015 मुद्रण के लिए 30,000/-रू0(तीन हजार) रू0 मात्र जमा करना होगा। जमा की गई राशि की वापसी मुद्रण के पश्चात् वापस कर दी जायेगी। परन्तु मुद्रण में अशुद्वि/त्रूटि/अस्पष्टता/कमजोर वाइंडिंग/ससमय आपूर्ति में विफलता की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. निविदा में दैनन्दिनी का दर स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए। एक से अधिक दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सभी प्राक्कलन कार्यकारी सचिव महोदय के कार्यालय कक्ष में दि0 06-11-2014 को 5:00 बजे अप0 खोली जायेगी। जिसमें संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। मुद्रण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवस में प्रकाशन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
9. किसी अथवा सभी प्राक्कलन को बिना कारण बताये रद्ध या अस्वीकृत करने का अधिकार संयोजक, केन्दीय क्रय समिति, बिहार विधान परिषद् को होगा

(जय कुमार प्रसाद)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्